न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती विभाजन खेताय व स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 53, 188 राज0 टिनेन्सी एक्ट

वाद संख्या :– 301/2016

वादी	प्रतिवादीगण
मोतीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी धवा तहसील मूण्डवा जिला नागौर।	1. तीजांदेवी पत्नी रेंवतराम जाति जाट 2. बाउड़ी पत्नी देवकरण जाति जाट 3. सायरसिंह पुत्र बालूसिंह (फौत) के का0मु0 3/1 राजूसिंह गोद पुत्र सायरसिंह जाति दरोगा निवासी धवा 4. गणपतसिंह पुत्र पाबुदानसिंह 5. भागीरथसिंह पुत्र पाबुदानसिंह 6. सवाईसिंह पुत्र पाबुदानसिंह 7. अमरसिंह पुत्र पाबुदानसिंह 8. सज्जनकंवर पत्नी करणसिंह 9. प्रतापसिंह उर्फ प्रकाशसिंह/करणसिंह 10. किशनसिंह पुत्र करणसिंह 11. स्वरूपकंवर पुत्री करणसिंह 12. मदनसिंह पुत्र शंकरसिंह (फौत) के का0मु0 12/1 विमलाकंवर पुत्री मदनसिंह 12/2 संतोषकंवर पुत्री मदनसिंह 12/3 शेरसिंह पुत्र मदनसिंह 12/4 बुलाकंवर पुत्री मदनसिंह 12/5 गुड्डीकंवर पुत्री मदनसिंह पत्नी छैलसिंह 12/6 मनीषाकंवर पुत्री मदनसिंह 16 वर्ष 12/7 सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह 13 वर्ष 12/8 भंवरीकंवर पत्नी मदनसिंह नाबालिग जरिये वली माता भंवरी कंवर जाति दरोगा निवासी धवा। 13. रूपसिंह उर्फ पपूसिंह पुत्र शंकरसिंह 14. पूनी पत्नी शंकरसिंह 15. पुनाराम पुत्र दूदाराम 16. मनाराम पुत्र दूदाराम 17. विक्रमसिंह पुत्र नारायणसिंह 18. मोहनसिंह पुत्र नारायणसिंह 19. ज्योति पुत्री नारायणसिंह जाति दरोगा निवासी धवा तहसील मूण्डवा 20. तहसीदार मूण्डवा। 21. उपपंजीयक, मूण्डवा।

वकील वादी

श्री भागीरथ चौधरी,

वकील प्रतिवादीगण

श्री निम्बाराम काला

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

निर्णय दिनांक :– **06.07.2021**

1– वादी ने **दिनांक 10.06.2016** को वाद पेश किया कि :–

1. यह हैं कि वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 20 तमाम स्व. बालुसिंह के वारीसान व उत्तराधिकारी हैं, जिनकी वंशावली दावे के पैरा संख्या 1 में दर्ज हैं।
2. यह हैं कि वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 20 की संयुक्त कब्जा सुद पुश्तैनी खातेदारी की भूमि हाल ख.नं. 89 रकबा 7–12 बीघा, ख.नं. 90 रकबा 13–13 बीघा, ख.नं. 93 रकबा 8–15 बीघा, ख.न. 99 रकबा 11–15 बीघा, ख.नं. 101 रकबा 8–15 बीघा, ख.नं. 101/483 रकबा 9–14 बीघा व ख.नं. 105 रकबा 17–10 बीघा कुल 77–14 बीघा वाके मौजा धवा तहसील मूण्डवा में स्थित हैं।
3. यह हैं कि पहले उक्त वादग्रस्त भूमि वादी के दादा स्व. बालूसिंह के कब्जे काश्त व खातेदारी में थी उनके फौत होने पर बालूसिंह के पांचों पुत्र पाबुदानसिंह, शंकरसिंह, दुदाराम, सायरसिंह व नारायणसिंह के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की भूमि रहती चली आई है। जिसमें इन पांचों भाईयों का 1/5 हिस्सा निहित हुआ जिनमें पाबुदानसिंह फौत हो चुके हैं, जिनके वारीसान प्रतिवादी सं. 4 से 11 का 1/5 हिस्सा हैं। स्व. शंकरसिंह के वारीसान प्रतिवादी सं. 12 से 14 का 1/5 हिस्सा स्व. दूदाराम के वारीसान प्रतिवादीगण सं. 15 से 17 का 1/5 हिस्सा, स्व. नारायणसिंह के वारीसान वादी प्रतिवादी सं. 18 से 20 का 1/5 हिस्सा हुआ तथा रहता चला आया हैं। पांचवा भाई सायरसिंह जो जीवित हैं तथा प्रतिवादी सं. 3 हैं उनका भी 1/5 हिस्सा हैं। खतौनी में दर्ज खातेदार रामदीन पुत्र शंकरसिंह लाऔलाद फौत हो गये हैं। खातेदार पाबुदानसिंह भी फौत हो गये हैं, लेकिन जमाबंदी में उनका नाम दर्ज हैं।
4. यह हैं कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन नहीं हुआ हैं इसके बावजूद प्रतिवादी सं. 3 सायर ने अपने 1/5 हिस्से में से 3/5 हिस्सा सभी खेतों में से कागजी बैचान कर दिया तथा मौके पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 खरीददार का कब्जा नहीं हैं। खरीददार मनमर्जी से वादी के कब्जे में दखल दे रहे हैं, जिससे यह दावा पेश करना पड़ रहा हैं।
5. वदी ने अपने सहखातेदारों से भूमि का विभाजन करवाने का कहा तो वे नहीं माने तथा बिना विभाजन बैचान कर दिया हैं। बिना विभाजन पुश्तैनी भूमि का बैचान का अधिकार नहीं हैं। वादी के कब्जे काश्त में अजनबी दखल कर रहे हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में हैं।
6. कि बिनाय वादी, प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बिना विभाजन बैचान करने तथ कागजी बैचान की आड में जबरदस्ती कब्जा करने तथा वादी के कब्जे कशत में दखलदांजी करने ग्राम धवा तह0 मूण्डवा में समय समय पर पैदा हुआ।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

7. यह हैं कि तहसीलदार आवश्यक पक्षकार होने, उपपंजीयक को दौराने वाद दस्तावेज पंजीयन नहीं करने व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में कागजी बैचान होने से पक्षकार बनाया गया हैं।

अतः वादी की प्रार्थना हैं कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :—

A. कि वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि में से मृतक रामदीन व पाबूदानसिंह का नाम हटाया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती करते हुए वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 20 की खातेदारी घोषित कर वंशावली अनुसार प्रत्येक का 1/5 हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कराया जावे।

B. उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार मूण्डवा का लिखा जाऐ।

C. वादी व प्रतिवादी सं. 18 से 20 के बंट कब्जा काश्त में दखलदांजी कने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा सदैव के लिए रोका जाए।

2— वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री निम्बाराम काल ने अपना वकालातनामा पेश किया।

3— प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 14.02.17 को जवाबदावा पेश किया कि :—

1. यह हैं कि वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 20 की वंशावली वादी स्वयं साबित करें।
2. यह हैं कि वादग्रस्त भूमि का विवरण रेकर्ड के अनुसार सही हैं लेकिन मौके पर भूमि बंटी हुई हैं। प्रतिवादी सं. 3 ने अपने निहित हिस्से 1/5 में से 3/5 हिस्सा अपने परिवार की जायज जरूरत सारू हमें प्रतिफल लेकर दिनांक 09.05.2016 को विक्रय किया हैं। उतर दाता सद्भाविक खरीददार हैं। बैचानकर्ता सायर को अपने हिस्से में से भूमि बैचान करने में कोई मनाही नही थी। प्रतिवादी सं. 3 ने अपने निहित हिस्से में से भूमि का बैचान किया हैं।
3. यह हैं कि वाद पत्र के पैरा सं. 3 में पक्षकारान के हिस्से बाबत व पुश्तैनी भूमि होने के सम्बन्ध में तथ्य दर्ज किये हैं, जो वादी स्वयं साबित करें।
4. यह हैं कि वाद के पैरा सं. 4 का जवाब इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं व सभी सींवों माठों से अलग अलग काबिज हैं। प्रतिवादी सं. 3 का अलग से कब्जा काश्त होने से उसने अपने हिस्से में से उतरदाताओं को भूमि विक्रय की थी। यह गलत हैं कि उतरदाताओं के हक में हुआ बैचान कागजी बैचान हो। किसी भी सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि का बैचान करने का अधिकार हैं। यह गलत हैं कि मौके पर प्रतिवादी सं 1 व 2 का कोई कब्जा नहीं हो। यह गलत भी हैं कि अब लाठी के बल पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 वादी की उपजाउ व कीमती भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमदा हो। वादी ने

सहायक कलक्टर
नागौर

केवल मात्र उरदाताओं को नाजायज तंग परेशान कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा वाद पेश किया हैं। उतरदाता सप्रतिफल उक्त भूमि का खातेदार से खरीद कर मौके पर काबिज हुए हैं, इसलिए उनके द्वारा लाठी के बल पर कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। उतरदाता अपनी खरीदसुदा भूमि पर काबिज हैं, जिसमें दखल करने का वादी व दीगरप्रतिवादीगण को कोइ अधिकार नहीं हैं।

5. यह है कि पैरा सं. 5 सम्पूर्ण सही नहीं होने से अस्वीकार हैं। यह गलत हैं कि वादी व वादी के परिवार के दीगर प्रतिवादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भौतिक विभाजन करने का निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादीगण माने नहीं हो व बिना विभाजन करवाये प्रतिवादी सं. 3 ने अजनबी क्रेता को कागजी बैचान कर दिया हो व अन्य भूमि का भी बिना विभाजन कराये बैचान करने पर प्रतिवाादीगण आमदा हो। प्रतिवादी सं. 3 को अपनी खातेदारी भूमि को विक्रय करने का अधिकार था व उसने अपने परिवार की जायज जरूरत सारू विक्रय किया हैं जो कागजी विक्रय नहीं हो सकता हैं। न ही उतरदाता अजनबी क्रेता हैं बल्कि उतरदाता को वादी व दीगर प्रतिवादीगण जानते हैं व मौके पर वक्त खरीद से उनका कब्जा हैं। वादी को किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति नहीं हैं न ही प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में हैं। सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया मामला उतरदाताओं के पक्ष में हैं। उतरदाताओं के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो रखा हैं, जिसको कागजी व निरस्त होना राजस्व न्यायालय द्वारा घोषित करने का क्षैत्राधिकार नहीं हैं ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

6. यह हैं कि वाद का पैरा सं. 6 बिनाय वाद के सम्बन्ध में हैं जो गलत होने से अस्वीकार हैं। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बिनाय वाद कभी पैदा नहीं हुआ। बिनाय वाद के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

7. यह हैं कि वाद का पैरा सं. 7 गलत होने से अस्वीकार हैं। वादी बार बार उक्त विधि सम्मन विक्रय पत्र को कागजी बैचान कह कर वाद पेश किया हैं, ज़िससे ऐसे अभिवचनों का वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं होने से वाद खारिज किया जावे। वाद के अंत में उक्त पैरा ए, बी, सी, डी, में चाही गई कोई भी इस्तदुआ वादी पाने का अधिकारी नहीं हैं। वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

प्रतिवाद

1. यह हैं कि हाल ख.नं. 89 रकबा 7–12 बीघा, ख.नं. 90 रकबा 13–13 बीघा, ख.नं. 93 रकबा 8–15 बीघा, ख.नं. 99 रकबा 11–15 बीघा, ख.नं. 101 रकबा 8–15 बीघा, ख.नं. 101/483 रकबा 9–14 बीघा व ख.नं. 105 रकबा 17–10 बीघा कुल 77–14 बीघा वाके सरहद मौजा धवा में से प्रतिवादी सं. 3 के 1/5 हिस्से में से 3/5 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.5.2016 के खरीदसुदा कब्जासुदा होने से उनकी सहखातेदारी का घोषित किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर

सहायक कलक्टर
नागौर

अलग से प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज करने हेतु तहसीलदार को तेहरी जारी करने हेतु प्रतिवाद पेश हैं।

2. यह हैं कि वादी व दीगर प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ख़रीदसुदा भूमि से उन्हें बेदखल करने पर आमदा हैं जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए उनको ऐसा करने से स्थाई निषेधाज्ञा से रूकवाने हेतु प्रतिवाद पेश हैं।
3. यह हैं कि प्रतिवाद पेश करने का वाद हेतु वादी द्वारा मिथ्या आधारों पर वाद पेश कर देने व राजस्व न्यायालयों के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का प्रयास करवाने व विधि सम्मन विक्रय पत्र को गलत चुनोती देने व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के कब्जे काश्त में दखल करने पर आमदा होने से सरहद मौजा धवा तहसील मूण्डवा में पैदा हुआ जिससे अन्दर म्याद प्रतिवाद पेश हैं।
4. कि प्रतिवादी की मालियत हेतु 1/– घोषणा खातेदारी 1/– विभाजन 1/– स्थाई निषेधाज्ञा रू. 1/– दीगर दादरसी कुल 4/– के कोर्ट फीस पेश हैं।

अतः जवाब दावा मय प्रतिवाद पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद सारहीन, बलहीन, असत्य तथ्यों पर आधारित विधि विरूद्ध पेश किया होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे तथा डिक्री बहक प्रतिवादीगण 1 व 2 विरूद्ध वादी व दीगर प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर फरमावे :–

A. कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 को सहखातेदार घोषित कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर प्रतिवादी सं. 3 के 1/5 हिस्से में से 3/5 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 बंटसुदा कब्जा सुदा खातेदारी का घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अलग से अमलदरामद हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे।
B. कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के बंट कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज करने व कराने से वादी व दीगर प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

4– प्रतिवादी सं. 12 से 17 ने दिनांक 14.02.2017 को निम्नानुसार जवाब दावा पेश किया:–

1. यह हैं कि वाद के पैरा सं. 1 में वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 20 की वंशावली बताई हैं जिससे कोई विरोध नहीं हैं।
2. कि वादग्रस्त भूमि का जो वर्णन किया गया हैं, वह रेकर्ड के अनुसार सही हैं, मगर यह गलत हैं कि यह भूमि वादी और प्रतिवादीगण सं. 3 से 20 के संयुक्त कब्जे काश्त की हो। मौके पर यह भूमि बंटी हुई हैं तथा सायर प्रतिवादी सं. 3 ने अपने 1/5 हिस्से में से 3/5 हिस्सा जरिये प्रतिफल रजिस्टर्ड बैचान से दिनांक 09.05.16 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बैचान करके कब्जो खरीददार का करवा दिया हैं।
3. यह हैं कि वाद के पैरा सं. 3 में पक्षकारान के हिस्से बाबत व पुश्तैनी भूमि होने के सम्बन्ध में तथ्य दर्ज किये हैं जिनसे कोई विरोध नहीं हैं।

सहायक कलक्टर (मु.)
मारवर

4. यह हैं कि वाद के पैरा सं. 4 का जवाब इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं व सभी अपने अपने बंट के हिस्सों पर सीवों, माठों से अलग अगजल काबिज हैं। यह गलत हैं कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में हुआ बैचान कागजी हो सह खातेदार को अपने हिस्से का बैचान करने का अधिकार हैं। यह गलत हैं कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कोई कब्जा नहीं हो। यह भी गलत हैं कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 लाठी के बल पर उपजाउ भूमि पर कब्जा करने में आमादा हो। वादी ने प्रतिवादीगण को नाजायज तंग परेशान कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झुठा वाद पेश किया हो। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हक में किये गये बैचान की जानकारी उतरदाता व अन्य सभी सह खातेदारों को भली भांति रहती चली आई हैं तथा विक्रय पत्र हम उतरदाताओं की सहमति से ही हुआ हैं। इस विक्रय पत्र की प्रतिफल की राशि प्रतिवादी सं. 3 ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 से हम उतरदाओं के सामने प्राप्त की थी।

5. कि वाद का पैरा सं. 5 सम्पूर्ण सही नहीं होने से अस्वीकार हैं। यह गलत हैं कि वादी व वादी के परिवार के दीगर प्रतिवादीगण को उक्त सम्पूर्ण्ण भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस भौतिक विभाजन करवाने का कहने के बावजूद नहीं माने हो व बिना विभाजन करवाये प्रतिवादी सं. 3 ने अजनबी क्रेता को कागजी बैचान कर दिया हैं। प्रतिवादी सं. 3 को अपनी खातेदारी की भूमि को विक्रय करने का अधिकार था व उसने आवश्यकता अनुसार सही बैचान किया हैं, जो कागजी विक्रय नहीं हो सकता। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अजनबी क्रेता नहीं हैं बल्कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वादी व प्रतिवादीगण जानते हैं व मौके पर वक्त खरीद से उनका कब्जा हैं। वादी को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही हैं न ही प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

6. कि वाद का पैरा सं. 6 बिनाय वाद के सम्बन्ध में हैं, जो गलत होने से अस्वीकार हैं। वादी का प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बिनाय कभी पैदा नहीं हुआ। बिनाय वाद के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

7. यह हैं कि वाद का पैरा सं. 7 गलत होने से अस्वीकार हैं। वादी बार बार उक्त विधि सम्मत विक्रय पत्र का कागजी बैचान कह कर वाद पेश किया हैं, जिससे ऐसे अभिवचनों का वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं होने से वाद खारिज किया जावे।

वाद के अंत में पैरा सं. ए, बी, सी, डी में चाही गई कोई भी इस्तदुआ वादी पाने का अधिकार नहीं हैं। वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

5— प्रतिवादी सं. 3 सायरसिंह (सायर) ने दिनांक 14.02.17 को निम्नानुसार जवाब दावा मय काऊन्टर क्लेम पेश किया है:—

1. यह है कि वाद के पैरा सं. 1 में वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 20 की वंशावली बताई है जो वादी स्वयं साबित करें।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

2. यह है कि वादग्रस्त भूमि का वर्णन किया है जो रेकर्ड अनुसार सही है मगर यह गलत है कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 3 से 20 के संयुक्त कब्जा सुदा हो बल्कि मौके पर उक्त भूमि पक्षकारान की लम्बे अरसे पूर्व से ही बंटी हुई है व प्रत्येक खसरों में पक्षकारान का सींव माठों से अलग से कब्जा रहा है तदनुसार ही उतरदाता प्रतिवादी सं. 3 सायर ने अपने निहित 1/5 हिस्से में से 3/5 हिस्सा अपने परिवार की जायज जरूरत कारण प्रतिवादीगण सं.1 व 2 को सहप्रतिफल दिनांक 09.05.16 को विक्रय किया व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने प्रतिफल की राशि देकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया, जो सभी पक्षकारान की जानकारी में था व मौके पर वक्त खरीद से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का बहैसियत मालिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 सद्भाविक खरीद्दार है।

3. यह है कि वाद पत्र के पैरा सं. 3 में पक्षकारान के हिस्से बाबत व पुश्तैनी भूमि होने के संबंध में तथ्य दर्ज किये है जिनसे कोई विरोध नहीं है।

4. यह है कि वाद के पैरा सं. 4 का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है और सभी सीवों माठों से अलग–अलग काबिज है। उतरदाता प्रतिवादी सं. 3 का अलग से कब्जा काश्त होने से उसने अपने हिस्से में से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को भूमि विक्रय की थी। यह गलत है कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के हक में हुआ बैचान कागजी बेचान है। किसी भी सहखातेदार को अपना हिस्सा की भूमि को बेचान का अधिकार है। यह गलत है कि मौके पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। यह भी गलत है कि अब लाठी के बल पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की उपजाऊ व कीमती भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। वादी ने केवल मात्र उतरदाता व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को नाजायज तंग परेशान कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 सहप्रतिफल उक्त भूमि को खातेदार से खरीद कर मौके पर काबिज हुए है अतः उनके द्वारा लाठी के बल पर कब्जा प्राप्त करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मुझ उत्तरदाता व प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपनी खरीद सुदा भूमि पर ही काबिज है जिसमें दखल करने का वादी व दीगर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है।

5. यह है कि पैरा सं. 5 सम्पूर्ण सही नही होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि वादी व वादी के परिवार ने दीगर प्रतिवादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि का बांई मीट्स एण्ड बाऊण्डस भौतिक विभाजन करने का निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादीगण माने नही हो व बिना विभाजन कराये प्रतिवादी सं. 3 ने अजनबी क्रेता को कागजी बैचान कर दिया हो व अन्य भूमि का भी बिना विभाजन करवाये बेचान करने पर प्रतिवादीगण आमादा हो। उतरदाता प्रतिवादी सं. 3 को अपनी अपनी खातेदारी की भूमि का विक्रय करने का अधिकार था व उसने अपने परिवार की जायज जरूरत कारण विक्रय किया है, जो कागजी विक्रय पत्र नहीं हो सकता है न ही प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अजनबी क्रेता है बल्कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को वादी व उतरदाता

सहायक कलक्टर (5.)
नागौर

प्रतिवादीगण जानते है। मौके पर वक्त खरीद से उनका कब्जा काश्त है। वादी को किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति नही है न ही प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्ट्या मामला उतरदाता के पक्ष में है। उतरदाता मौके पर काबिज काश्तकार व रेकर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह है कि वाद का पैरा सं. 6 बिनाय वाद के संबंध में है, जो गलत होने से अस्वीकार है वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बिनाय वाद कभी पैदा नहीं हुआ बिनाय वाद के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।
7. यह है कि वाद का पैरा सं. 7 गलत होने से अस्वीकार है। वादी बार–बार उक्त विधि सम्मत विक्रय पत्र को कागजी बेचान कह कर वाद पेश किया है जिससे ऐसे अभिवचनों का वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वाद खारिज किया जावें।

वाद के अंत में उप पैरा सं. अ, ब, स, द में चाही गई कोई भी इस्तदुआ वादी पाने का अधिकार नहीं है वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवाद

1. यह है कि वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 के 1/5 हिस्सा में से 3/5 हिस्सा प्रतिवादी 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2016 के बेचान कर दिये जाने से उक्त रकबा उनकी सहखातेदारी का घोषित किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा कर अलग से मुझ प्रतिवादी सं. 3 का शेष हिस्सा मेरे नाम अलग से दर्ज करवाया जावे व खरीददारान प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 का हिस्सा उनके नाम से अलग से दर्ज करवाया जाकर कानूनी बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य किया जाना आवश्यक है जिस हेतु प्रतिवाद पेश है।
2. यह है कि वादी व दीगर प्रतिवादीगण मुझ प्रतिवादी सं. 3 को मेरे हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने में आमादा है जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है इसलिए उनकों ऐसा करने से स्थाई निषेधाज्ञा से रूकवाने हेतु प्रतिवाद पेश है।
3. यह है कि प्रतिवाद पेश करने का वाद हेतुक वादी द्वारा मिथ्या आधारों पर वाद पेश कर देने से व राजस्व न्यायालय के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को गलत चुनौती देने व प्रतिवादी सं. 3 के कब्जे में दखल करने में आमादा होने से सरहद मौजा धवा में पैदा हुआ जिससे अन्दर म्याद प्रतिवाद पेश है।
4. कि प्रतिवादी की मालियत हेतु 1/– रूपये, घोषणा खातेदारी 1/– रूपये, विभाजन 1/– व दीगर दादरसी 1/– रूपये, 1/– रूपये स्थाई निषेधाज्ञा कुल 4/– रूपये के कोर्ट फीस पेश है।

अतः जवाबदावा मय प्रतिवाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सारहीन, बलहीन असत्य तथ्यों पर आधारित विधि विरूद्ध पेश किया होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे तथा डिक्री बहक प्रतिवादी संख्या 3 विरूद्ध वादी व दीगर प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर फरमावे–

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

क) कि हाल खसरा नम्बर 89 रकबा 7.12 बीघा, खसरा नं. 90 रकबा 13.13 बीघा, खसरा नं. 93 रकबा 8.15 बीघा, खसरा नं. 99 रकबा 11.15 बीघा, खसरा नं. 101 रकबा 8.15 बीघा, खसरा नं. 101/483 रकबा 9.14 व खसरा नम्बर 105 रकबा 17.10 बीघा कुल रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद मौजा धवा तहसील मूण्डवा में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को सहखातेदार घोषित कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर प्रतिवादी संख्या 3 के 1/5 हिस्से में से 3/5 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के बंटसुदा कब्जासुद खातेदारी का घोषित किया जावे व पक्षकारान के मध्य कानूनी बंटवाड़ा किया जाकर उक्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग से अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे।

ख) कि प्रतिवादी संख्या 3 के बंट कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज करने व कराने से वादी व दीगर प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।

ग) कि अन्य अनुतोष जो लाभार्थ वादी हो प्रदान करावें।

6– प्रतिवादी सं. 5 भागीरथसिंह, प्रतिवादी संख्या 6 सवाईसिंह, प्रतिवादी संख्या 7 अमरसिंह, प्रतिवादी संख्या 8 सज्जनकंवर, प्रतिवादी संख्या 9 प्रतापसिंह (प्रकाशसिंह) प्रतिवादी संख्या 10 किशनसिंह निम्नलिखित जवाबदावा प्रस्तुत करते है–

1. यह है कि, वाद के पैरा संख्या 1 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 20 की वंशावली बतायी है जिससे कोई विरोध नहीं है।
2. यह है कि, वाद के पैरा संख्या 2 में हाल खसरा नम्बर 89 रकबा 7.12 बीघा, खसरा नं. 90 रकबा 13.13 बीघा, खसरा नं. 93 रकबा 8.15 बीघा, खसरा नं. 99 रकबा 11.15 बीघा, खसरा नं. 101 रकबा 8.15 बीघा, खसरा नं. 101/483 रकबा 9.14 व खसरा नम्बर 105 रकबा 17.10 बीघा कुल रकबा 77 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद मौजा धवा तहसील मूण्डवा का वर्णन किया है जो रेकर्ड अनुसार सही है मगर यह गलत है कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 20 के ही संयुक्त कब्जासुद हो। बल्कि मौके पर उक्त भूमि पक्षकारान की लम्बे अरसे पूर्व से बंटी हुई है व प्रत्येक खसरे में पक्षकारान का सींवो माठो से अलग से कब्जा रहा है तद्नुसार ही प्रतिवादी संख्या 3 शायर ने अपने निहित 1/5 हिस्से में से 3/5 हिस्सा अपने परिवार की जायज जरूरत सारू प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को सहप्रतिफल दिनांक 09.05.2016 को विक्रय किया व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने प्रतिफल की राशि देकर मौके पर कब्जा प्राप्त किया जो सभी पक्षकारों की जानकारी में था व मौके पर वक्त खरीद से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का बहैसियत मालिक कब्जा काश्त रहता चला आया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सद्भाविक खरीदार है जिन्होनें मौके पर कब्जा काश्त व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 3 शायर की खातेदारी देख कर ही उसके हिस्से में से भूमि खरीद की है

सहायक कलक्टर (3)
नागौर

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने निहित हिस्से में से भूमि का बेचान सहअधिकार व सहप्रतिफल के किया है।

3. यह है कि, वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में पक्षकारान के हिस्से बाबत व पुश्तैनी भूमि होने के संबंध में तथ्य दर्ज किये है जिनसे कोई विरोध नहीं है।
4. यह है कि, वाद के पैरा संख्या 4 का जवाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है व सभी अपने–अपने बंट की हिस्सों पर सींवो माठों से. अलग–अलग काबिज है यह गलत है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हक में हुआ बेचान कागजी बेचान हो। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने का अधिकार है विधिक प्रावधानों अनुसार बाद जांच विक्रय पत्र पंजियन किया गया है प्रतिवादी संख्या 3 उक्त भूमि का सहखातेदार व कब्जा है। यह गलत है कि मौके पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा नहीं हो। यह भी गलत है कि अब लाठी के बल पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी की उपजाऊ व किमती भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो व अन्य खेताय रास्ते के चिपती भूमि पर आमादा हो समझाने के बावजुद मान नहीं रहे हो व इसी प्रकार दीगर प्रतिवादीगण भी बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये मनमर्जी से उक्त अविभाजित पुश्तैनी भूमि को बेचान, हस्तान्तरण करने व न ही वादी के कब्जे में दखल करने पर आमादा होने से वादी को यह वाद वास्ते विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना पड़ रहा हो। वादी ने केवल मात्र प्रतिवादीगण को नाजायज तंग परेशान कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झुठा वाद पेश किया है प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है जिसमें दखल करने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 को भूमि विक्रय करने की जानकारी उतरदाताओं व अन्य सभी सहखातेदारों को भलीभांति रहती चली आई है तथा यह विक्रय की हम उतरदाताओं की सहमति से ही हुआ था तथा इस विक्रय बाबत प्रतिफल की राशि प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से हम उतरदाताओं के सामने ही प्राप्त की थी।
5. यह है कि वाद का पैरा संख्या 5 सम्पूर्ण सही नहीं होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि वादी के परिवार ने दीगर प्रतिवादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स भौतिक विभाजन करवाने का निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादीगण माने नहीं हो व बिना विभाजन करवाये प्रतिवादी संख्या 3 ने अजनबी क्रेता को कागजी बेचान कर दिया हो व अन्य भूमि का भी बिना विभाजन करवाये बेचान करने पर प्रतिवादीगण आमादा हो। जैसा कि उपर कथन किया जा चुका है कि काबिज काश्तकार व खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने का अधिकार होता है व इसी क्रम में प्रतिवादी संख्या 3 को अपनी खातेदारी की भूमि को विक्रय करने का अधिकार था व उसने आवश्यकता अनुसार सही बेचान किया है जो कागजी विक्रय नहीं हो सकता है न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अजनबी क्रेता है बल्कि

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वादी व प्रतिवादीगण जानते है व मौके पर वक्त खरीद से उनका कब्जा काश्त है। वादी को किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति नहीं है न ही प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया वाद, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन के तीनों बिन्दू प्रतिवादीगण के पक्ष में है प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्तकार व रकर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह है कि, वाद का पैरा संख्या 6 बिनायवाद के संबंध में है जो गलत होने से अस्वीकार हैं वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई बिनायवाद कभी पैदा नहीं हुआ, बिनायवाद के अभाव में वाद खारिज किये जाने योग्य है।
7. यह है कि वाद का पैरा संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। वादी बार–बार उक्त विधि सम्मत विक्रय पत्र को कागजी बेचान कह कर वाद पेश किया है जिससे ऐसे अभिवचनों का वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वाद खारिज किया जावें।

वाद के अन्त में उप पैरा संख्या अ, ब, स, द में चाही गयी कोई भी इस्तदुआ वादी पाने का अधिकार नहीं है वाद खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सारहीन, बलहीन असत्य तथ्यों पर आधारित विधि विरूद्ध पेश किया होने से मय खर्चा हर्चा खारिज फरमावें।

7– दिनांक 24.03.2021 को निम्नानुसार राजीनामा पेश किया गया –

वादी मोतीसिंह व प्रतिवादीगण तीजादेवी पत्नी रेंवतराम, बाउडी पत्नी देवकरण, राजूसिंह गोदपुत्र सायरसिंह, गणपतसिंह, भागीरथसिंह, सवाईसिंह, अमरसिंह पुत्रगण पाबुदानसिंह, श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी करणसिंह प्रतापसिंह, किशनसिंह पुत्रगण करणसिंह, स्वरूपकंवर पुत्री करणसिंह, विमला कंवर, संतोषकंवर, बुलाकंवर, गुड्डीकंवर, मनीषाकंवर, पुत्रिया मदनसिंह शेरसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्रगण मदनसिंह भंवरीकंवर पत्नी मदनसिंह, रूपसिंह उर्फ पप्पुसिंह पुत्र शंकरसिंह, पुनी पत्नी शंकरसिंह, पुनाराम, मनाराम पुत्रगण दुदाराम, विक्रमसिंह, मोहनसिंह पुत्रगण नारायणसिंह ज्योति पुत्री नारायणसिंह की ओर से निम्नलिखित राजीनामा प्रस्तुत है–

1. यह है कि, उक्त प्रकरण में पक्षकारान ने बसमझाईश मौतबिरान व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी बाबत अब किसी तरह का विवाद नहीं रहा है व पक्षकारान राजीनाम अनुसार मौके पर बंट कर काश्त करसण कर रहे है जो राजीनाम निम्न अनुसार है।
2. यह है कि मौजा धवा के खेत खसरा नं. 89 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 13 व 14 रूपसिंह उर्फ पप्पुसिंह पुत्र शंकरसिंह व पुनीदेवी पत्नी शंकरसिंह के बंट कब्जा काश्त में रखा गया।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

3. कि मौजा धवा के खसरा नं. 90 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3/1 राजूसिंह गोद पिता सायरसिंह व 12/3 शेरसिंह व 12/7 सुरेन्द्रसिंह पुत्रगण मदनसिंह व प्रतिवादी संख्या 12/8 भंवरीकंवर पत्नी मदनसिंह के बंट व कब्जा काश्त में रखा गया है।
4. कि मौजा धवा खसरा नं. 93 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 4 बीघा खेत का पश्चिमी भाग प्रतिवादी संख्या 16 पुनाराम पुत्र दुदाराम व प्रतिवादी संख्या 17 मनाराम पुत्र दुदाराम के बंट में रखा गया है शेष रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा पूर्वी भाग वादी मोतीसिंह व प्रतिवादी संख्या 18 से 20 क्रमशः विक्रमसिंह, मोहनसिंह, ज्योती के बंट कब्जा काश्त में रखा गया है।
5. कि मौजा धवा के खसरा नं. 99 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा पुरा भाग प्रतिवादी संख्या 16 व 17 पुनाराम व मनाराम पुत्रगण दुदाराम के बंट में रखा गया है।
6. कि मौजा धवा के खसरा नं. 101 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि वादी मोतीसिंह व प्रतिवादी संख्या 18 से 20 विक्रमसिंह, मोहनसिंह, ज्योति के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में रखा गया है व इसी खेत का शेष रकबा 6 बिस्वा खेत के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे खसरा नं. 93 में जाने के लिए दक्षिण से उतर लम्बा भाग रास्ता के रूप में रखा गया है।
7. कि मौजा धवा के खसरा नं. 101/483 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा में से रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीजादेवी व बाउडी के संयुक्त बंट व कब्जा काश्त में रखा गया है व इसी खेत का शेष रकबा 6 बिस्वा खेत के पश्चिमी तरफ रास्ता हेतु रखा गया है जो रास्ता कटाणी रास्ता से होकर पश्चिमी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उतर लम्बाई में आगे खसरा नं. 101 में जाने हेतु रखा गया है।
8. कि मौजा धवा के खसरा नं. 105 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 11 क्रमशः गणपतसिंह, भागीरथसिंह, सवाईसिंह, अमरसिंह, श्रीमती सज्जनकंवर, प्रतापसिंह, किशनसिंह, स्वरूपकंवर के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में रखा गया है।
9. यह है कि प्रतिवादी संख्या 15 तेजाराम लाऔलाद फौत हो जाने से उसके विधिक उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 16 व 17 उनके भाई है।
10. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 12/1 विमलाकंवर, 12/2 संतोषकंवर, 1/4 बुलाकंवर, 12/5 गुड्डीकंवर, 12/6 मनीषाकंवर अपने ससुराल में रहती है तथा उन्होने अपने बंट में पारिवारिक बंटवाड़ा में रोकड़ी राशि व जैवरात बंट में ले लेने से इस जमीन में अपना बंट नहीं रखा है।
11. यह है कि खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि माफिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने की कृपा करावें।

8— **दिनांक 06.04.2021 को** वादी मोतीसिंह पुत्र नारायणसिंह ने उपस्थित होकर सशपथ बयान दर्ज कराये कि "मैने साक्ष्य के रूप में मेरा शपथ पत्र पेश किया

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

है और शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने वाद के साथ खतौनी सम्वत 2067–70 बाबत ख.न. 89 व अन्य पेश की है जो प्रदर्श–1 है व खतौनी सम्वत 2023–26 प्रदर्श–2 है, बेचान पत्र दिनांक 09.05.2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3 है व राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श–4 है। हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से अब किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इसलिए माफिक राजीनामा दावा डिक्री किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।"

दिनांक 06.04.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से तिजां देवी पत्नी रेवन्तराम ने उपस्थित होकर बयान दर्ज कराये कि "हम पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है। जो राजीनामा पेश किया जा चुका है, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल है। उक्त राजीनामा वादी व हम प्रतिवादीगण की सहमति से हुआ है। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे व प्रतिवादी सं. 2 बाउडी के ख.न. 101/483 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा में से 9 बीघा 8 बिस्वा राजीनामा में रखा है तथा इसी खेत के पश्चिम तरफ रास्ता हेतु 6 बिस्वा जमीन रखी गई है।"

दिनांक 06.04.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से शेरसिंह पुत्र मदनसिंह ने उपस्थित होकर बयान दर्ज कराये कि "हम पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है। अतः दावा माफिक राजीनामा डिक्री किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

9— पक्षकारों के मध्य राजीनामा अनुसार वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैं–

1. मौजा धवा के खेत खसरा नं. 89 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 13 व 14 रूपसिंह उर्फ पप्पुसिंह पुत्र शंकरसिंह व पुनीदेवी पत्नी शंकरसिंह के बंट कब्जा काश्त में रखा जाता है।
2. मौजा धवा के खसरा नं. 90 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3/1 राजूसिंह गोद पिता सायरसिंह व 12/3 शेरसिंह व 12/7 सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह व प्रतिवादी संख्या 12/8 भंवरीकंवर पत्नी मदनसिंह के बंट व कब्जा काश्त में रखा जाता है।
3. मौजा धवा खसरा नं. 93 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 4 बीघा खेत का पश्चिमी भाग प्रतिवादी संख्या 15 पुनाराम पुत्र दुदाराम व प्रतिवादी संख्या 16 मनाराम पुत्र दुदाराम के बंट में रखा गया है शेष रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा पूर्वी भाग वादी मोतीसिंह व प्रतिवादी संख्या 17 से 19 क्रमशः विक्रमसिंह, मोहनसिंह, ज्योती के बंट कब्जा काश्त में रखा जाता है।
4. मौजा धवा के खसरा नं. 99 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा पुरा भाग प्रतिवादी संख्या 15 व 16 पुनाराम व मनाराम पुत्रगण दुदाराम के बंट में रखा जाता है।
5. मौजा धवा के खसरा नं. 101 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि वादी मोतीसिंह व प्रतिवादी संख्या 17 से 19 विक्रमसिंह, मोहनसिंह, ज्योति के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में रखा गया है व इसी खेत का शेष रकबा 6 बिस्वा खेत के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे खसरा नं.

सहायक कलक्टर (उ.)

93 में जाने के लिए दक्षिण से उत्तर लम्बा भाग रास्ता के रूप में रखा जाता है।

6. मौजा धवा के खसरा नं. 101/483 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा में से रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीजादेवी व बाउडी के संयुक्त बंट व कब्जा काश्त में रखा जाता है व इसी खेत का शेष रकबा 6 बिस्वा खेत के पश्चिमी तरफ रास्ता हेतु रखा जाता है जो रास्ता कटाणी रास्ता से होकर पश्चिमी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर लम्बाई में आगे खसरा नं. 101 में जाने हेतु रखा जाता है।
7. मौजा धवा के खसरा नं. 105 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 11 क्रमषः गणपतसिंह, भागीरथसिंह, सवाईसिंह, अमरसिंह, श्रीमती सज्जनकंवर, प्रतापसिंह उर्फ प्रकाशसिंह, किशनसिंह, स्वरूपकंवर के बंट, कब्जा काश्त व खातेदारी में रखा जाता है।
8. पूर्व प्रतिवादी संख्या 15 तेजाराम लाऔलाद फौत हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 15 व 16 उनके भाई है। अब ये प्रतिवादी नहीं है।
9. प्रतिवादीगण संख्या 12/1 विमलाकंवर, 12/2 संतोषकंवर, 1/4 बुलाकंवर, 12/5 गुड्डीकंवर, 12/6 मनीषाकंवर अपने ससुराल में रहती है तथा उन्होने अपने बंट में पारिवारिक बंटवाड़ा में रोकड़ी राशि व जैवरात बंट में ले लेने से इस जमीन में अपना बंट नहीं रखा है।

   इसी अनुसार डिक्री जारी की जावें। रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नागौर को तेहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **06.07.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर